इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आदेश से प्रथम अपील संख्या - 892 वर्ष 2015

संगम लाल ....**अपीलकर्ता**

बनाम

दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड एवं अन्य ....**प्रतिवादी**

अपीलकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अमित कुमार सिन्हा, दीपाली श्रीवास्तव सिन्हा

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : अनुभव सिन्हा

इसके साथ:

1. आदेश से प्रथम अपील संख्या 697, वर्ष 2015:

द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

बनाम

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated version. not for legal use

Translated version. not for legal use

न्यायालय संख्या – 38

ए.एफ.आर.

(माननीय न्यायमूर्ति संदीप जैन द्वारा निर्णीत)

1. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 173 के अन्तर्गत आदेश से प्रथम अपील संख्या - 697 वर्ष 2015, अपकारी ट्रक संख्या एम.एच.-04-डी.के.-4585 के बीमाकर्ता द्वारा, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण/अपर जिला न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-1, इलाहाबाद द्वारा एम.ए.सी.पी. संख्या - 521 वर्ष 2011, संगम लाल बनाम जितेन्द्र पाल सिंह एवं अन्य में पारित विवादित निर्णय एवं पुरस्कार दिनांक 15.01.2015 के विरुद्ध योजित की गयी है, जिसके द्वारा दिनांक 29.03.2009 को घटित मोटर दुर्घटना में कारित चोटों के लिए दावेदार को 7% वार्षिक ब्याज सहित रु० 5,03,310/- का प्रतिकर अधिरोपित किया गया है, जिसे अपकारी ट्रक संख्या एम.एच.-04-डी.के.-4585 के बीमाकर्ता द्वारा प्रतिपूरित किये जाने का आदेश दिया गया है।

2. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 173 के अन्तर्गत आदेश से प्रथम अपील संख्या - 892 वर्ष 2015, दावेदार द्वारा प्रतिकर की वृद्धि हेतु, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण/अपर जिला न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-1, इलाहाबाद द्वारा एम.ए.सी.पी. संख्या - 521 वर्ष 2011, संगम लाल बनाम जितेन्द्र पाल सिंह एवं अन्य में पारित विवादित निर्णय एवं पुरस्कार दिनांक 15.01.2015 के विरुद्ध योजित की गयी है, जिसके द्वारा दिनांक 29.03.2009 को घटित मोटर दुर्घटना में कारित चोटों के लिए दावेदार को 7% वार्षिक ब्याज सहित रु०

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5,03,310/- का प्रतिकर अधिरोपित किया गया है, जिसे अपकारी ट्रक संख्या एम.एच.-04-डी.के.-4585 के बीमाकर्ता द्वारा प्रतिपूरित किये जाने का आदेश दिया गया है।

3. आदेश से प्रथम अपील संख्या - 892 वर्ष 2015 स्वीकार की जाती है।

4. चूँकि दोनों अपीलें एक ही निर्णय एवं पुरस्कार से उद्भूत हैं, अतः उन्हें एक साथ सुनकर इस सामान्य निर्णय द्वारा निर्णीत किया जा रहा है।

5. अपीलकर्ता-बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता ने आदेश से प्रथम अपील संख्या - 697 वर्ष 2015 में प्रस्तुत किया कि दावेदार को कथित रूप से दुर्घटना में कारित चोटों के कारण केवल 60% स्थायी विकलांगता हुई थी, किन्तु अधिकरण द्वारा फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र के आधार पर उसे 80% मान लिया गया, जो कि साक्ष्य में सर्वथा ग्राह्य नहीं था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि दावेदार अवयस्क था, जिसकी कोई आय नहीं थी, तथापि अधिकरण द्वारा उसकी मासिक आय रु० 3,000/- मानते हुए प्रतिकर का निर्धारण किया गया, जो त्रुटिपूर्ण है। उक्त प्रस्तुतियों के साथ यह प्रार्थना की गयी कि अपील स्वीकृत की जाये तथा दावेदार को प्रदत्त प्रतिकर राशि को कम किया जाये।

6. इसके विपरीत, दावेदार-प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दुर्घटना में हुई चोटों के कारण दावेदार का दाहिना पैर घुटने से नीचे काटना पड़ा तथा उसके बाएँ पैर की दो छोटी उँगलियाँ भी काटनी पड़ीं, जिसके परिणामस्वरूप उसे 100% कार्यात्मक विकलांगता हुई है, किन्तु अधिकरण द्वारा उसकी विकलांगता केवल 80% ही आंकी गई है, जो वृद्धि योग्य है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अंग विच्छेदन के कारण दावेदार किसी भी प्रकार का शारीरिक श्रम करने में असमर्थ हो गया है, अतः यह एक उपयुक्त मामला है जिसमें अधिकरण को दावेदार की कार्यात्मक विकलांगता 100% मानते हुए प्रतिकर प्रदान करना चाहिए था। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि दावेदार *उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1998 के नियम 220-ए* के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अनुसार भविष्य की संभावनाओं के अंतर्गत 50% प्रतिकर पाने का भी अधिकारी था, किन्तु अधिकरण द्वारा इस मद में कोई प्रतिकर प्रदान नहीं किया गया है।यह भी प्रस्तुत किया गया कि चूँकि दावेदार की आयु लगभग 16 वर्ष थी, अतः प्रतिकर निर्धारण हेतु गुणक 18 लागू किया जाना चाहिए था, किन्तु अधिकरण द्वारा 16 का गुणक लागू किया गया है, जो वृद्धि योग्य है।यह भी प्रस्तुत किया गया कि अधिकरण द्वारा गैर-आर्थिक शीर्षकों के अंतर्गत भी अत्यंत कम प्रतिकर प्रदान किया गया है, जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के आलोक में पर्याप्त रूप से बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।इन प्रस्तुतियों के साथ यह प्रार्थना की गयी कि बीमा कम्पनी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाए तथा दावेदार द्वारा प्रतिकर वृद्धि हेतु प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाए।

7. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा अपील के साथ प्रस्तुत अभिलेखों का परिशीलन किया।

8. माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***राज कुमार बनाम अजय कुमार एवं अन्य*** **[(2011) 1 एससीसी 343]** के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि अधिकरण द्वारा स्थायी विकलांगता की प्रतिशतता को यांत्रिक रूप से आर्थिक हानि या आय अर्जन क्षमता की हानि के प्रतिशत के रूप में लागू नहीं किया जाना चाहिए, तथा प्रत्येक मामले में अधिकरण को स्वतंत्र रूप से यह आकलन करना होगा कि दावेदार अपनी स्थायी विकलांगता के बावजूद किन-किन कार्यों को कर सकता है और किन कार्यों को अपनी चोटों के परिणामस्वरूप करने में असमर्थ है।यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि जहाँ विकलांगता प्रमाण-पत्र विधिवत गठित चिकित्सा बोर्ड द्वारा निर्गत किए गए हों, उन्हें उनकी प्रामाणिकता के संबंध में साक्ष्य के अधीन स्वीकार किया जा सकता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated version. not for legal use

9. माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***सरनाम सिंह बनाम श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं अन्य [(2023) 8 एससीसी 193]*** के मामले में यह विश्लेषण करते हुए कि कब आंशिक विकलांगता, 100% आय अर्जन क्षमता की हानि के समकक्ष मानी जाएगी, निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:-

10.इस प्रश्न पर कि जब किसी घायल व्यक्ति की स्थायी विकलांगता उसके कार्यात्मक दिव्यांगता को प्रभावित करती है, तो प्रतिकर का आकलन किस प्रकार किया जाए, इस न्यायालय द्वारा बार-बार विचार किया गया है। इस संबंध में इस न्यायालय के निर्णय मोहन सोनी बनाम राम अवतार तोमर [मोहन सोनी बनाम राम अवतार तोमर, (2012) 2 एससीसी 267 : (2012) 1 एससीसी (सिविल) 747 : (2012) 1 एससीसी (क्रिमिनल) 641] का संदर्भ लिया जा सकता है।उक्त मामले में घायल व्यक्ति एक ठेला खींचने वाला था। दुर्घटना के परिणामस्वरूप उसका बायाँ पैर काटना पड़ा। उसकी स्थायी विकलांगता 60% आंकी गई थी। अधिकरण ने यह मानते हुए कि वह बैठकर कुछ अन्य कार्य कर सकता है, उसकी आय हानि 50% मानते हुए प्रतिकर निर्धारित किया। उच्च न्यायालय ने विकलांगता के कारण आय हानि संबंधी इस निष्कर्ष में कोई हस्तक्षेप नहीं किया।इस न्यायालय ने यह पाया कि अधिकरण द्वारा आय हानि 50% मानना त्रुटिपूर्ण था, क्योंकि घायल की आयु 55 वर्ष थी और उस अवस्था में उसके लिए रोजगार प्राप्त करना कठिन था। वास्तव में, दुर्घटना से उत्पन्न किसी भी शारीरिक विकलांगता का आकलन उस कार्य की प्रकृति के संदर्भ में किया जाना चाहिए, जो विकलांग व्यक्ति द्वारा किया जा रहा था। समान प्रकार की चोट दो विभिन्न व्यक्तियों पर भिन्न-भिन्न प्रभाव डाल सकती है। किसी किसान या रिक्शा चालक के लिए पैर का खो जाना उसकी आय अर्जन क्षमता के पूर्णतः समाप्त होने के समान हो सकता है,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

जबकि कार्यालय में डेस्क कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए पैर खोना अपेक्षाकृत कम प्रभाव डाल सकता है।इस प्रकार, इस न्यायालय ने आय हानि को 50% से बढ़ाकर 90% कर दिया।

11. इसी सिद्धांत को वर्तमान मामले में लागू करते हुए, यह पाया जाता है कि अपीलकर्ता भारत होटल लिमिटेड में गनमैन के पद पर कार्यरत था। दुर्घटना के परिणामस्वरूप उसके दाहिने पैर का घुटने से ऊपर से विच्छेदन हो जाने के कारण उसे 31-05-2015 से सेवा से पृथक कर दिया गया। यह निर्विवाद है कि दाहिना पैर कट जाने की स्थिति में व्यक्ति गनमैन का कर्तव्य निर्वहन नहीं कर सकता। यही उसकी कार्यात्मक विकलांगता है। दुर्घटना के समय उसकी आयु 50 वर्ष 5 माह थी।उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हमारे विचार में अधिकरण द्वारा अपीलकर्ता की आय अर्जन क्षमता को 100% मानना तथा उसी के अनुसार प्रतिकर का निर्धारण करना सही था। उच्च न्यायालय द्वारा इस मुद्दे पर माननीय उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध निर्णय के बावजूद उच्च न्यायालय के निर्णय [श्री राम जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम सरनाम सिंह, 2017 एससीसी ऑनलाइन दिल्ली 13011] पर निर्भर करते हुए आय अर्जन क्षमता को 80% तक सीमित करना त्रुटिपूर्ण था।

10. वर्तमान मामले में, दावेदार को हुई चोटों के कारण उसका दाहिना पैर घुटने से काट दिया गया है तथा बाएँ पैर की दो छोटी उँगलियाँ भी काट दी गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र के अनुसार उसे 60% स्थायी विकलांगता हुई है। यह प्रमाण-पत्र विधिवत गठित चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, जिसकी प्रामाणिकता को अपीलकर्ता-बीमा कम्पनी द्वारा कोई प्रतिवादी साक्ष्य प्रस्तुत कर चुनौती नहीं दी गई है।

11. दावेदार द्वारा बी . वाई. एल. नायर चैरिटेबल हॉस्पिटल एवं टी.एन.एम. कॉलेज, बॉम्बे के फिजियोथेरेपी विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह उल्लेख है

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

कि दावेदार को दाहिने घुटने के विच्छेदन के कारण दाहिने निचले अंग में 75% स्थायी विकलांगता तथा बाएँ निचले अंग में 4वीं-5वीं किरण (ray) के विच्छेदन के कारण 5% स्थायी विकलांगता हुई है, जिसके परिणामस्वरूप कुल मिलाकर उसे 80% विकलांगता हुई है।

12. अधिकरण ने यह दर्ज किया है कि दावेदार का दाहिना पैर घुटने से काट दिया गया है तथा बाएँ पैर की चौथी एवं पाँचवीं उँगलियाँ भी काट दी गई हैं और इसी आधार पर अधिकरण ने दावेदार की कार्यात्मक विकलांगता 80% आंकी है। वाहन स्वामी द्वारा प्रस्तुत लिखित कथन से यह स्पष्ट है कि दावेदार ट्रक पर खलासी के रूप में कार्यरत था, जिसमें शारीरिक श्रम शामिल होता है। यह स्पष्ट है कि दावेदार को हुई अंग-विच्छेदन की चोटों के कारण वह भविष्य में किसी भी प्रकार का शारीरिक श्रम आधारित कार्य करने में असमर्थ है और इस प्रकार उसकी कार्यात्मक विकलांगता 100% है। अधिकरण द्वारा कार्यात्मक विकलांगता को केवल 80% मानना त्रुटिपूर्ण है, जो वृद्धि योग्य है।

13. माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***काजल बनाम जगदीश चंद एवं अन्य*** **[(2020) 4 एससीसी 413],** ***मास्टर आयुष बनाम शाखा प्रबंधक, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड एवं अन्य*** **[(2022) 7 एससीसी 738],** ***बेबी साक्षी ग्रेओला बनाम मंजूर अहमद साइमोन एवं अन्य*** **(2024 एससीसी ऑनलाइन एससी3692) तथा** ***हितेश नागजीभाई पटेल बनाम बाबाभाई नागजीभाई रबारी एवं अन्य*** **(2025 आइएनएससी 1070)** के मामलों में यह अभिनिर्धारित किया है कि जहाँ किसी दावेदार को दुर्घटना के परिणामस्वरूप 100% स्थायी कार्यात्मक विकलांगता हुई हो, वहाँ आय हानि के अंतर्गत प्रतिकर का निर्धारण उस क्षेत्र में दुर्घटना के समय प्रचलित कुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी के आधार पर किया जाना चाहिए, तथा इसे काल्पनिक आधार पर नहीं आँका जाना चाहिए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated version not for legal use

14. उपर्युक्त दृष्टांतों के आलोक में, भले ही यह मान लिया जाए कि दावेदार उस समय केवल 16 वर्ष का था और दुर्घटना के समय किसी लाभकारी रोजगार में संलग्न नहीं था, फिर भी वह इस आधार पर प्रतिकर पाने का अधिकारी है कि उसे एक कुशल श्रमिक माना जाए।चूँकि दुर्घटना दिनांक 29.03.2009 को घटित हुई थी तथा उस समय उत्तर प्रदेश राज्य में कुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी लगभग रु० 4,500/- प्रति माह प्रचलित थी, अतः दावेदार इसी आधार पर प्रतिकर पाने का अधिकारी है।

15. माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***पप्पू देव यादव बनाम नरेश कुमार*** **[(2022) 13 एससीसी 790 (तीन न्यायाधीशों की पीठ)]** के मामले में मोटर दुर्घटना से उत्पन्न स्थायी विकलांगता के मामलों में भविष्य की संभावनाओं प्रदान किए जाने के प्रश्न पर विचार करते हुए निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:-

7. दो प्रश्न विचार हेतु उत्पन्न होते हैं : प्रथम, क्या मोटर दुर्घटना के परिणामस्वरूप हुई स्थायी विकलांगता के मामलों में दावेदार भविष्य की आय हानि के अतिरिक्त भविष्य की संभावनाओं के अंतर्गत भी प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकारी है; तथा द्वितीय, विकलांगता की सीमा क्या है। प्रथम प्रश्न के संबंध में, उच्च न्यायालय ने यद्यपि तकनीकी रूप से यह सही माना है कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रनय सेठी [(2017) 16 एससीसी 680 : (2018) 3 एससीसी (सिविल) 248 : (2018) 2 एससीसी (क्रिमिनल) 205] का निर्णय उस स्थिति से संबंधित था जहाँ पीड़ित की मृत्यु हो गई थी।तथापि, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचने में त्रुटिपूर्ण रहा कि बाद में दिए गए तीन-न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय जगदीश बनाम मोहन [(2018) 4 एससीसी 571 : (2018) 3 एससीसी (सिविल) 102 : (2018) 2 एससीसी (क्रिमिनल) 572] बाध्यकारी नहीं हैं, बल्कि इसके विपरीत यह माना कि उसके पश्चात् दिया गया निर्णय अनंत बनाम प्रताप [(2018) 9 एससीसी 450 : (2018) 4

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated version, not for legal use

एससीसी (सिविल) 378 : (2018) 3 एससीसी (क्रिमिनल) 756], जहाँ तक उसमें भविष्य की संभावनाओं के लिए प्रतिकर प्रदान नहीं किया गया था, वह बाध्यकारी है।इस न्यायालय का मत है कि गंभीर चोटों से उत्पन्न स्थायी विकलांगता के मामलों में भविष्य की संभावनाओं हेतु प्रतिकर की संभावना को पूर्णतः अपवर्जित करने हेतु उच्च न्यायालय द्वारा इस न्यायालय के पूर्व निर्णयों की इस प्रकार व्याख्या करने का कोई औचित्य नहीं था।प्रनय सेठी [नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रनय सेठी(2017) 16 एससीसी 680 : (2018) 3 एससीसी (सिविल) 248 : (2018) 2 एससीसी (क्रिमिनल) 205] का इस प्रकार संकीर्ण अर्थ ग्रहण करना तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि यह दुर्घटना के मामलों में जीवित पीड़ित के आगे जीवन में प्रगति की संभावना को पूर्णतः नकार देता है, जबकि मृत्यु की स्थिति में ऐसी भविष्य संभावनाओं की मान्यता स्वीकार की जाती है।

16. माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***सिद्राम बनाम डिवीजनल मैनेजर, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड एवं अन्य*** **[(2023) 3 एससीसी 439]** के मामले में यह निर्देश देते हुए कि गंभीर स्थायी विकलांगता के मामलों में भविष्य की संभावनाओं हेतु प्रतिकर भी प्रदान किया जाना चाहिए, निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:-

31. यह अब विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि मोटर दुर्घटना के परिणामस्वरूप हुई स्थायी विकलांगता के मामलों में भी दावेदार भविष्य की आय हानि के अतिरिक्त भविष्य की संभावनाओं के अंतर्गत भी प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकारी है।इस न्यायालय ने अनेक मामलों में देखा है कि विभिन्न अधिकरणों के आदेशों को, जिन्हें दुर्भाग्यवश विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा भी पुष्टि प्रदान की गई है, इस दृष्टिकोण पर आधारित किया गया है कि गंभीर चोटों के कारण हुई स्थायी विकलांगता के मामलों में दावेदार भविष्य की संभावनाओं के लिए प्रतिकर का अधिकारी नहीं है। यह विधि की सही स्थिति नहीं है।गंभीर स्थायी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated version not for legal use

विकलांगता वाले दुर्घटना मामलों में भविष्य की संभावनाओं हेतु प्रतिकर की संभावना को अपवर्जित करने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसा संकीर्ण दृष्टिकोण तर्कहीन है, क्योंकि यह दुर्घटना मामलों में जीवित पीड़ित के जीवन में आगे प्रगति की संभावना को पूर्णतः नकार देता है, जबकि मृत्यु की स्थिति में ऐसी भविष्य संभावनाओं को स्वीकार किया जाता है।

17. माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***राहुल गणपत राव साबले बनाम लक्ष्मण मारुति जाधव (मृतक) द्वारा विधिक प्रतिनिधियों एवं अन्य*** **[(2023) 13 एससीसी 334]** के मामले में यह निर्देश देते हुए कि स्थायी विकलांगता के मामलों में व्यक्तिगत व्यय की कोई कटौती नहीं की जानी चाहिए, निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:-

15. उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिकर में से व्यक्तिगत व्यय के अंतर्गत 50% की कटौती की गई है। वर्तमान मामला मृत्यु का नहीं है तथा दावा आश्रितों द्वारा नहीं, बल्कि दुर्घटना में गंभीर चोटों के कारण स्थायी विकलांगता से ग्रस्त जीवित पीड़ित द्वारा प्रस्तुत किया गया है, अतः व्यक्तिगत व्यय की कटौती का कोई औचित्य नहीं था। इस कटौती को हम मान्य नहीं करते, विशेष रूप से इस न्यायालय के लालन डी. [लालन डी बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, (2020) 9 एससीसी 805 : (2021) 1 एससीसी (सिविल) 253 : (2021) 1 एससीसी (क्रिमिनल) 238] के निर्णय के आलोक में।

18. **उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1998 के नियम 220-ए** के अनुसार, यदि दावेदार दुर्घटना के समय 40 वर्ष से कम आयु का था, तो गंभीर स्थायी विकलांगता के मामलों में उसे भविष्य की संभावनाओं के अंतर्गत 50% प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार है।

19. माननीय इस न्यायालय की खण्डपीठ ने **आदेश से प्रथम अपील संख्या - 2581 वर्ष 2011, *सुशील कुमार एवं अन्य बनाम एम/एस सम्पर्क लॉजिस्टिक प्रा. लि. एवं अन्य,*** दिनांक 26.04.2017 में यह अभिनिर्धारित किया है कि यद्यपि दुर्घटना दिनांक 26.09.2011

Translated version not for legal use

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

से पूर्व घटित हुई थी, तथापि चूँकि यह एक लाभकारी विधि है, अतः दावेदार उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1998 के संशोधित नियम 220-ए के अनुसार भविष्य की संभावनाओं के अंतर्गत प्रतिकर पाने के अधिकारी हैं।

20. दावेदार उपर्युक्त विधि, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***पप्पू देव यादव*** (उपरोक्त) तथा ***सिद्राम*** (उपरोक्त) के मामलों में प्रतिपादित किया है तथा **उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1998 के नियम 220-ए** के आलोक में, अपनी आय के 50% की दर से भविष्य की संभावनाओं के अंतर्गत प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकारी है। इस मद में अधिकरण द्वारा कोई प्रतिकर प्रदान नहीं किया गया है।यह भी स्पष्ट है कि यह स्थायी विकलांगता का मामला है, अतः प्रतिकर निर्धारण के समय दावेदार के व्यक्तिगत व्यय की कोई कटौती नहीं की जानी चाहिए, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***राहुल गणपत राव साबले*** (उपरोक्त) के मामले में अभिनिर्धारित किया है। यह भी स्पष्ट है कि चूँकि दावेदार दुर्घटना के समय लगभग 16 वर्ष का था, अतः प्रतिकर निर्धारण हेतु गुणक (Multiplier) 18 लागू किया जाना चाहिए था, किन्तु अधिकरण द्वारा 16 का गुणक लागू किया गया है, जो कि ***नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रनय सेठी एवं अन्य*** **[(2017) 16 एससीसी 680]** के निर्णय के आलोक में वृद्धि योग्य है।

21. दावेदार को हुई चोटों की प्रकृति तथा उसके अंग-विच्छेदन को ध्यान में रखते हुए, गैर-आर्थिक शीर्षकों के अंतर्गत प्रतिकर में भी वृद्धि आवश्यक है, क्योंकि अधिकरण द्वारा केवल रु० 15,000/- दर्द एवं कष्ट के लिए तथा रु० 1,000/- विशेष आहार के लिए प्रदान किए गए हैं, जो अत्यंत अपर्याप्त हैं।दावेदार स्थायी विकलांगता के कारण विवाह की संभावनाओं की क्षति के लिए भी प्रतिकर पाने का अधिकारी है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated version. not for legal use.

22. यह उल्लेखनीय है कि दावेदार द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि वह कृत्रिम पैर का उपयोग कर रहा है अथवा नहीं, तथा भविष्य में चिकित्सा व्यय के संबंध में भी कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है, अतः इन शीर्षकों के अंतर्गत दावेदार को कोई प्रतिकर प्रदान नहीं किया जा सकता।

23. उपरोक्त वैधानिक विधि एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्ववर्ती निर्णयों के आलोक में, दावेदार को देय प्रतिकर का पुनर्निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र.सं.	प्रतिकर शीर्षक	प्रदत्त राशि (रुपयों में)	के अनुसार
1	कुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी के आधार पर दावेदार की मासिक आय	4,500/-	*काजल* (उपरोक्त), *मास्टर आयुष* (उपरोक्त), *बेबी साक्षी ग्रेओला* (उपरोक्त) तथा *हितेश नागजीभाई पटेल* (उपरोक्त)
2	दावेदार की वार्षिक आय	4,500X12=54,000 /-	*काजल* (उपरोक्त), *मास्टर आयुष* (उपरोक्त), *बेबी साक्षी ग्रेओला* (उपरोक्त) तथा *हितेश नागजीभाई पटेल* (उपरोक्त)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3	भविष्य की संभावनाओं के अंतर्गत 50% की वृद्धि, क्योंकि दुर्घटना की तिथि पर दावेदार की आयु लगभग 16 वर्ष थी	27,000/-	उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1998, *पप्पू देव यादव* (उपरोक्त) तथा *सिद्राम* (उपरोक्त)
4	कुल वार्षिक भविष्य की आय हानि	81,000/-	उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1998, *पप्पू देव यादव* (उपरोक्त) तथा *सिद्राम* (उपरोक्त)
5	दावेदार की आयु लगभग 16 वर्ष होने के कारण प्रयुक्त गुणक	18	*प्रनय सेठी* (उपरोक्त)
6	100% कार्यात्मक विकलांगता के कारण कुल भविष्य की आय हानि	81,000X18=14,58, 000/-	*प्रनय सेठी* (उपरोक्त)
7	चिकित्सा व्यय	26,510/-	जैसा कि अधिकरण द्वारा प्रदान किया गया
8	दर्द एवं कष्ट तथा सुविधाओं की हानि हेतु प्रतिकर	1,00,000/-	--
9	विशेष आहार व्यय	25,000/-	--

Translated version. not for legal use

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

10	भविष्य में विवाह की संभावनाओं की हानि	50,000/-	--
11	कुल प्रतिकर	16,59,510/-	

24. इस प्रकार, दावेदार 7% वार्षिक ब्याज सहित (जैसा कि अधिकरण द्वारा प्रदान किया गया है) कुल रु० 16,59,510/- प्रतिकर पाने का अधिकारी है, जो दावे की याचिका दायर करने की तिथि से लेकर वास्तविक भुगतान की तिथि तक देय होगा तथा जिसे अपकारी ट्रक संख्या एम.एच.-04-डी.के.-4585 के बीमाकर्ता द्वारा प्रतिपूरित किया जाएगा।

25. **तदनुसार, बीमा कम्पनी द्वारा प्रस्तुत आदेश से प्रथम अपील संख्या - 697 वर्ष 2015 खारिज की जाती है।**

26. तदनुसार, दावेदार द्वारा प्रतिकर वृद्धि हेतु प्रस्तुत आदेश से प्रथम अपील संख्या - 892 वर्ष 2015 स्वीकार की जाती है। अधिकरण द्वारा दिनांक 15.01.2015 को पारित पुरस्कार उपर्युक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है।

27. यदि बीमा कम्पनी द्वारा पूर्व में कोई राशि का भुगतान किया गया है, तो उसे समायोजित करने का अधिकार बीमा कम्पनी को होगा।बीमा कम्पनी को निर्देशित किया जाता है कि वह दो माह के भीतर संबंधित अधिकरण के समक्ष प्रतिकर की वृद्धि की गई राशि जमा करे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated version. not for legal use

28. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि आदेश से प्रथम अपील संख्या - 697 वर्ष 2015 में अपीलकर्ता बीमा कम्पनी द्वारा जमा की गई वैधानिक राशि को संबंधित अधिकरण के समक्ष तत्काल प्रेषित किया जाए।

29. आदेश से प्रथम अपील संख्या - 697 वर्ष 2015 में पारित अंतरिम आदेश, यदि कोई हो, समाप्त किया जाता है।

8 जनवरी, 2026

हिमांशु

(न्यायमूर्ति संदीप जैन)

Translated version. not for legal use

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।